>

Title : Need to renovate the Narayanpur and Bhupauli Pump Canals under Accelerated Irrigation Benefits Programme in district Chandauli, Uttar Pradesh.

श्री रामकिशुन (चन्दौली): उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली में दो बड़े लिफ्ट कैनालों (नारायणपुर पम्प कैनाल तथा भुपौली पम्प कैनाल) का गंगा नदी पर बहुत पहले निर्माण कराया गया था। इन दोनों पम्प कैनालों से दो बड़ी मुख्य नहरों का निर्माण कराया गया है। इन दोनों मुख्य नहरों से जनपद चंदौली के आधे से ज्यादा भूभाग के खेतों की सिंचाई किये जाने का प्रावधान किया गया है। मुख्य नहरों तथा उससे संबंधित नहरों के पक्का नहीं होने से इन दोनों मुख्य नहरों का पानी बड़ी मात्रा में बेकार बह जाता है और नहरों के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण दोनों मुख्य नहरों के अंतिम छोर पर स्थित किसानों की हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि असिंचित रह जाती है और सिंचाई के अभाव में अनाज की पैदावार बड़े पैमाने पर प्रभावित होती है। इन दोनों मुख्य नहरों के पक्का कराये जाने तथा अंतिम छोर तक पानी पहुंचाये जाने के लिए किसान लगातार कई वर्षों से संघर्ष करते चले आ रहे हैं। सिंचाई के अभाव में जनपद में कानून व्यवस्था भी बिगड़ जाती है और किसानों की आर्थिक हालत दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है। पूर्वी महाइच, उत्तरी नरवन के किसानों को सिंचाई के लिए दूसरा कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं है। भूपौली तथा एशिया की सबसे बड़ी पम्प कैनाल नारायणपुर के मुख्य नहरों का पक्कीकरण कराया जाना किसानों के हित में अत्यंत आवश्यक है, जिससे मुख्य नहरों का पानी जो बेकार बहती हुई नदी, नालों से होते हुए पुनः गंगा नदी में चला जाता है, उस बेकार बहते हुए पानी को नहरों के अंतिम छोर तक पहुंचाया जा सकता है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के उद्देश्यों की पूर्ति किया जा सकता है। इन दोनों मुख्य नहरों को पक्की कराने हेतु केन्द्र सरकार के त्वरित सिंचाई परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित कर धनराशि उपलब्ध कराकर कार्य कराये जाने की आवश्यकता है।

मैं केन्द्र सरकार से यह मांग करता हूं कि त्वरित सिंचाई परियोजना के तहत इन दोनों नहरों के पुनरूद्धार और अतिरिक्त निर्माण कार्य के लिए केन्द्रीय टीम भिजवाई जाये, जो कि इस बात की जांच करे कि आखिर इन दोनों मुख्य नहरों का पानी अंतिम छोर तक क्यों नहीं पहुंच पाता है तथा केन्द्रीय टीम के जांच के उपरांत इसके पुनर्निर्माण या पुनरूद्धार की आवश्यकतानुसार प्राक्कलन तैयार कर समयबद्ध योजना के तहत शीघ्र धन उपलब्ध कराकर कार्य शुरू कराया जाये।